

राजस्थान सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-281/से0नि0/2019/


दिनांक:-

आदेश

श्रीमती सुशीला सालवी, महिला स्वास्थ्य दर्शिका, खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़ जिनकी जन्मतिथि 09.09.1959 एवं राज्य सेवा में प्रथम नियुक्ति तिथि 29.05.1987 के द्वारा राज्य सेवा में अपनी 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर दिनांक 30.09.2019 को मध्यान्ह पश्चात राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि इनके विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


  
(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/नर्स-2(F)/एस-281/से0नि0/2019/1168

दिनांक:- 27/9/19

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राज. जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उदयपुर।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़।
4. खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, प्रतापगढ़ जिला प्रतापगढ़।
5. प्रभारी, डीपीसी (नर्सिंग अनुभाग) मुख्यालय।
6. सम्बन्धित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
7. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करें।
8. आदेश/निजी पत्रावली।

  
(मुकुल शर्मा)  
अतिरिक्त निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ  
राजस्थान जयपुर